

“विजनेस पोस्ट के अगतगत डाक शुल्क के नगव भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक:
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 फरवरी 2017— माघ 26, शक 1938

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2007/9. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ खेल और युवा कल्याण, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (लिपिक वर्गीय तथा कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

अनुसूची-एक, अनुसूची-दो, अनुसूची-तीन, अनुसूची-चार एवं अनुसूची-पांच के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या		वर्गीकरण पद	वेतनमान			टिप्पणियां
		संचालनालय एवं मैदानी कार्यालय	खेल अकादमी		प्रारंभिक वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	प्रथम उन्नत वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	द्वितीय उन्नत वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	वरिष्ठ खेल अधिकारी	03	-	अराजपत्रित (कार्यपालिक)	9300+34800 +4300	-	-	संभागीय खेल अधिकारी का पद वरिष्ठ खेल अधिकारी के रूप में स्वीकृत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								किया गया है अतः इसे वरिष्ठ खेल अधिकारी के रूप में पदा जाये.
2.	वरिष्ठ प्रशिक्षक	07	-	-तद्वैव-	9300-34800 +4300	-	-	-
3.	वार्डन (पुरुष/महिला)	-	02	-तद्वैव-	9300-34800 +4300	-	-	01 पद पुरुष एवं 01 पद महिला.
4.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	-	-तद्वैव-	9300-34800 +4200	-	-	-
5.	खेल अधिकारी (मैदानी)	17	-	-तद्वैव-	9300-34800 +4200	9300-34800 +4400	15600-39100 +5400	जिला खेल अधिकारी विभाग के पद को विभागीय स्तर पर में खेल अधिकारी के रूप में स्वीकृत किया गया है अतएव जिला खेल अधिकारी पद को खेल अधिकारी के रूप में पदा जाये.
6.	प्रशिक्षक	20	06	-तद्वैव-	5200-20200 +2800	9300-34800 +4300	9300-34800 +4400	एक खेल विधा में एक प्रशिक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया भर्ती के समय निर्धारित की जायेगी.
7.	फिजियोथेरेपी (संविदा अंशकालीन)	-	01	-तद्वैव-	13700 (संविदा)	-	-	-
8.	वाहन चालक	02	02	-तद्वैव-	5200-20200 +1900	5200-20200 +2400	5200-20200 +2800	
9.	सहायक अधीक्षक	01	-	अराज्यपत्रित	9300-34800 +4200	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.	सहायक ग्रेड- एक	02	-	-तद्वै-	5200-20200 +2800	-	-	
11.	स्टेनोग्राफर	02	-	-तद्वै-	5200-20200 +2800	9300-34800 +4300	9300-34800 +4400	
12.	अकैक्षक	02	-	-तद्वै-	5200-20200 +2400	-	-	
13.	लेखापाल	01	01	-तद्वै-	5200-20200 +2400	-	-	-
14.	सहायक ग्रेड- दो	30	01	-तद्वै-	5200-20200 +2400	-	-	-
15.	स्टोर कीपर	01	01	-तद्वै-	5200-20200 +2400	-	-	-
16.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	09	-	-तद्वै-	5200-20200 +2400	5200-20200 +2800	9300-34800 +4200	
17.	स्टेनो टाइपिस्ट	01	-	-तद्वै-	5200-20200 +1900	5200-20200 +2400	5200-20200 +2800	
18.	सहायक ग्रेड- तीन	30	03	-तद्वै-	5200-20200 +1900	5200-20200 +2400	5200-20200 +2800	

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम	पदों की कुल संख्या		भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
		संचालनालय एवं मैदानी कार्यालय	खेल अकादमी	सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (1) (क) देखिये]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (1) (ख) देखिये]	अभ्य संवाओं से व्यक्तियों के स्थानालंरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा [नियम 6 (1) (ग) देखिये]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	वरिष्ठ खेल अधिकारी	03	-	-	100%	-
2.	वरिष्ठ प्रशिक्षक	07	-	-	100%	-
3.	वार्डन (पुरुष/महिला)	-	02	100%	-	-
4.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	-	-	-	कोप एवं लेखा सेवा से 100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर
5.	खेल अधिकारी	17	-	80%	-	-

	(मैदानी)			20% पद लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों से भरे जायेंगे जो अनुसूची-पांच में यथा दर्शित पात्रता पूर्ण करते हों। यदि लिपिकीय संवर्ग से अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अभ्यर्षी उपलब्ध न हों तो पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।		
6.	प्रशिक्षक	20	06	100%	--	--
7.	फिजियोथैरेपी (संविदा अंशकालीन)	--	01	100%	--	--
8.	वाहन चालक	02	02	100%	--	--
9.	सहायक अधीक्षक	01	--	--	100%	--
10.	सहायक ग्रेड-एक	02	--	--	100%	--
11.	स्टेनोग्राफर	02	--	50%	50%	--
12.	अंकक्षक	02	--	100%	--	--
13.	लेखापाल	01	01	--	100%	--
14.	सहायक ग्रेड-दो	30	01	--	100%	--
15.	स्टोर कीपर	01	01	100%	--	--
16.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	09	--	100%	--	--
17.	स्टेनो टायपिस्ट	01	--	100%	--	--
18.	सहायक ग्रेड-तीन	30	03	75%	25% पद, ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे जो विभाग में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा जिन्होंने 10+2 पद्धति के माध्यम से हायर सेकेंडरी की परीक्षा अथवा पुश्तनी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हतायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	अराजपत्रित (कार्यपालिक)			
1.	वार्डन	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र।
2.	खेल अधिकारी (मैदानी)	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि।
3.	प्रशिक्षक	21 वर्ष	35 वर्ष	राष्ट्रीय क्रीडा संस्था पटियाला से प्रशिक्षक का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष डिप्लोमा। खेल अकादमी के तीरंदाजी प्रशिक्षक को खेल संघो द्वारा आयोजित सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में रिकर्व विद्या प्रतियोगिता में भाग लिया हुआ होना अनिवार्य होगा।
4.	फिजियोथैरेपिस्ट (संविदा)	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथैरेपी में स्नातक उपाधि।
5.	वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं हल्के तथा भारी वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति होनी चाहिये।
	अराजपत्रित (लिपिकीय संबन्ध)			
6.	स्टेनोग्राफर	18 वर्ष	35 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुसनी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) मुद्रलेखन परिषद् से हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री

				ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।
7.	अंकेक्षक	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र।
8.	स्टोर कीपर	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र।
9.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	21 वर्ष	35 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री की 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।
10.	स्टेनो टायपिस्ट	21 वर्ष	35 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/

				प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)
11.	सहायक ग्रेड-तीन	21 वर्ष	35 वर्ष	<p>1. किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र।</p> <p>3. कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति। (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p>

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिये)

सं. क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	न्यूनतम सेवावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(1) अराजपत्रित (कार्यपालिक) खेल अधिकारी (मैदानी)	वरिष्ठ खेल अधिकारी	5 वर्ष	विभागाध्यक्ष द्वारा गठित विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति।
2.	प्रशिक्षक	वरिष्ठ प्रशिक्षक	5 वर्ष	-तदेव-
3.	(2) अराजपत्रित (लिपिकीय संवर्ग) सहायक ग्रेड-एक	सहायक अधीक्षक	5 वर्ष	-तदेव-
4.	सहायक ग्रेड-दो / लेखापाल / स्टोर कीपर / अंकक्षक	सहायक ग्रेड-एक	5 वर्ष	-तदेव-
5.	स्टेनोग्राफिस्ट	स्टेनोग्राफर	5 वर्ष	-तदेव-
6.	सहायक ग्रेड-तीन (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण)	लेखापाल	5 वर्ष	-तदेव-
7.	सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो	5 वर्ष	-तदेव-

अनुसूची-पांच

(नियम 13 देखिये)

लिपिकीय संवर्ग से खेल अधिकारी के चयन के लिये प्रतियोगिता परीक्षा की योजना

1. शीर्षक:- यह योजना खेल एवं युवा कल्याण, संचालनालय तथा मैदानी कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग से तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवाओं के लिए चयन के माध्यम से भर्ती की योजना कहलायेगा।
2. पात्रता:- लिपिकीय संवर्ग/सेवाओं के सदस्य, जिनके पास पात्रता हेतु निम्नलिखित अर्हताएँ हों, अर्थात्:-
 - (1) जो खेल एवं कल्याण, संचालनालय तथा इसके मैदानी कार्यालयों में लिपिकीय सेवा संवर्ग में पिछले पांच वर्षों से लगातार कार्य कर रहा हो।
 - (2) उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ कम से कम विश्वविद्यालय स्तर या इससे उच्च स्तर पर किसी खेल में भाग लिया हो।
 - (3) उसने चयन के वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को चालीस वर्ष से अधिक आयु पूरी न की हो। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल किया जायेगा।
3. चयन:- नियुक्ति हेतु चयन निम्नलिखित आधार पर की जाएगी :-
 - (1) इस योजना के अधीन संचालित की जाने वाली परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा अभिप्राप्त अंक; और
 - (2) पिछले पांच वर्षों की चरित्रावली का मूल्यांकन।
4. परीक्षा:-
 - (एक) लिखित परीक्षा, प्रत्येक वर्ष ऐसी तारीखों तथा ऐसे स्थानों पर संचालित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।
 - (दो) ढाई घंटे की कालावधि के प्रत्येक 50 अंक के दो प्रश्नपत्र होंगे। इस परीक्षा में सफल होने के लिए, प्रत्येक प्रश्नपत्र में पृथक-पृथक न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करने होंगे।

(तीन) प्रश्नपत्र, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार कराये जायेंगे और उनमें निम्नलिखित विषय होंगे:-

प्रथम प्रश्नपत्र:- सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी तथा प्रारंभिक गणित।

द्वितीय प्रश्नपत्र:-

- (1) शाराकीय सेवा के सामान्य नियम।
- (2) विभाग में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले शब्दों का ज्ञान।
- (3) अधिनियम, नियमों, उपविधियों, निर्देशिका आदि, जिनके अनुसार विभाग में कार्य होता है।
- (4) प्रश्नपत्रों के लिए पाठ्यक्रम के ब्यौरे, संलग्न उपाबंध में लिखित में है।
- (5) ऐसा अभ्यर्थी, परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होगा, यदि वह पात्रता पूरी करता हो। नियुक्ति प्राधिकारी परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा जिसके लिये वह परीक्षा के लिए नियत तारीख से कम से कम एक मास पूर्व आवेदन आमंत्रित करेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को, जिसे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र पाये जायें, परीक्षा की तारीख, स्थान तथा समय आदि की सूचना दी जायेगी। शारीरिक स्वस्थता के संबंध में, सिविल सर्जन, जहां अभ्यर्थी कार्यरत/पदरथ हो, का प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जायेगा।
- (6) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, उस विभाग के अधिकारियों, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो, के द्वारा किया जाएगा।
- (7) ऐसे अभ्यर्थियों की, जो प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अभिप्राप्त करेंगे, सूची तैयार की जायेगी।

5. चरित्रावलियों का मूल्यांकन तथा चयन की अंतिम सूची:-

- (1) अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति, उन अभ्यर्थियों की, जिनके नाम पैरा 4 (7) के अधीन तैयार चयन सूची में है, पिछले 5 वर्षों की चरित्रावली का मूल्यांकन करेगी।
- (2) प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष की चरित्रावली के लिए 20 अंकों में से निम्नानुसार अंक दिये जायेंगे:-

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा : 20

अच्छा : 15

साधारण : 10

- (3) चरित्रावली के मूल्यांकन के आधार पर अभिप्राप्त किये गये अंकों को लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त किये गये अंकों के सामने लिखे जायेंगे और दोनों अंकों को जोड़ा जायेगा।
- (4) अंतिम चयन सूची, परीक्षा में अभिप्राप्त किए गए अंकों के आधार पर तथा चरित्रावली के मूल्यांकन के आधार पर तैयार की जायेगी। कार्यपालिक (तृतीय श्रेणी पदों) के 20 प्रतिशत कोटे के सामने सूची में आये उनके नामों के क्रम में की जायेगी।
- (5) लिपिकीय संवर्ग से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पद में नियुक्त कर्मचारियों की पारस्परिक बरिष्ठता, अंतिम सूची में दर्शाये गये अनुसार होगी।
6. परिवीक्षा:— इस योजना के अधीन भर्ती किया गया कर्मचारी, दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। इस कालावधि के दौरान, कर्मचारी को उरा पद का प्रशिक्षण दिया जायेगा और यदि कोई विभागीय परीक्षा विहित की गई है तो अभ्यर्थी को उत्तीर्ण करना होगा। यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पद के उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसे उसके लिपिकीय संवर्ग के पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। कार्यपालिक (तृतीय श्रेणी) पद की परिवीक्षा कालावधि के दौरान की गई सेवाओं की गणना, लिपिक वर्गीय संवर्ग/सेवा में की गई सेवा के रूप में की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोममणि बौरा, सचिव.

परिशिष्ट

प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र-1

1. सामान्य ज्ञान: (15 अंक)

सम सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल तथा सुसंगत घटनाएं, छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य जानकारी से संबंधित सुसंगत प्रश्न (तीन प्रश्न)।

2. सामान्य हिन्दी: (15 अंक)

10-12 पंक्तियों की संक्षेपिका के आधार पर संक्षिप्त प्रश्न समान शब्दों के अर्थ में भिन्नता तथा किसी निर्धारित विषय पर 150 शब्दों में निबंध।

3. प्रारंभिक गणित: (20 अंक)

गुणा, भाग, दशमलव प्रणाली में भिन्न, प्रतिशत, औसत, क्षेत्रफल, आयतन, औसत अनुपात।

प्रश्न पत्र-2

1. सेवा नियमों तथा आचरण नियमों का ज्ञान: (20 अंक)

(वेतन, भत्ते, अवकाश, सामान्य गविष्य निधि, यात्रा, चिकित्सीय इत्यादि)

2. विभाग में प्रचलित शब्दावली का ज्ञान: (15 अंक)

विभाग में सामान्य रूप से प्रयुक्त विभिन्न शब्दों का ज्ञान

3. उन अधिनियमों, नियमों आदि का ज्ञान जो विभाग द्वारा शासित होता है:

(15 अंक)

टीप:- 1. यदि विभाग वांछा करता है तो प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार किये जा सकेंगे। इस संबंध में विज्ञापन में पूर्वतर सूचना दी जानी चाहिये कि परीक्षा, वस्तुनिष्ठ पद्धति के आधार पर, आयोजित की जायेगी।

2. उपर्युक्त पाठ्यक्रम विवरणात्मक है। विभाग अपनी आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन करने हेतु प्राधिकृत होगा।"

Naya Raipur, the 3rd February 2017

NOTIFICATION

No. F 1-1/2007/9.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Sports and Youth Welfare Class-III, Non Gazetted (Ministerial and Executive) Service, Recruitment Rules, 2008, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

For Schedule-I, Schedule-II, Schedule-III, Schedule-IV and Schedule-V, the following shall be substituted, namely :-

“SCHEDULE-I
(See rule 5)

S. No.	Name of the post included in the service	Total number of posts		Classification post	Pay Scale			Remarks
		Directorate and Field Office	Sports Academy		Initial Pay Band and Grade Pay	First Upgraded Pay Band and Grade Pay	Second Upgraded Pay Band and Grade Pay	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Senior Sports Officer	03	-	Non-Gazetted (Executive)	9300-34800+4300	-	-	The post of Divisional Sports Officer has been sanctioned as Senior Sports Officer and hence it should be read as the Senior Sports Officer.
2	Senior Coach	07	-	-do-	9300-34800+4300	-	-	
3	Warden (Male/Female)	-	02	-do-	9300-34800+4300	-	-	01 post male and 01 post female.
4	Junior Account Officer	01	-	-do-	9300-34800+4200	-	-	
5	Sports Officer (Field)	17	-	-do-	9300-34800+4200	9300-34800+4400	15600-39100+5400	District Sports Officer post of department has been sanctioned as Sports Officer in departmental setup. Therefore, District Sports Officer post should be read as Sports Officer.
6	Coach	20	6	-do-	5200-20200+2800	9300-34800+4300	9300-34800+4400	The process for appointing one coach in one sports discipline will be determined at the time of recruitment.

7	Physiotherapy (contract Part time)	-	01	-do-	13700 (Contract)	-	-	-
8	Driver	02	02	-do-	5200- 20200+1900	5200- 20200+ 2400	5200- 20200+2800	
9	Assistant Superintendent	01	-	Non Gazette	9300- 34800+4200	-	-	
10	Assistant Grade-I	02	-	-do-	5200- 20200+2800	-	-	
11	Stenographer	02	-	-do-	5200- 20200+2800	9300- 34800+ 4300	9300- 34800+4400	
12	Auditor	2	-	-do-	5200- 20200+2400	-	-	
13	Accountant	01	01	-do-	5200- 20200+2400	-	-	
14	Assistant Grade-II	30	01	-do-	5200-20200 +2400	-	-	
15	Store Keeper	01	01	-do-	5200-20200 +2400	-	-	
16	Data Entry Operator	09	-	-do-	5200- 20200+2400	5200- 20200 + 2800	9300-34800+ 4200	
17	Steno Typist	01	-	-do-	5200- 20200+1900	5200- 20200 +2400	5200-20200+ 2800	
18	Assistant Grade-III	30	03	-do-	5200- 20200+1900	5200- 20200 +2400	5200-20200+ 2800	

SCHEDULE-II
(See rule 6)

S.No.	Name of the Post	Total number of Post		Percentage of the posts to be filled in		
				By direct recruitment [See rule 6(1) (a)]	By promotion of the members of the service [See rule 6 (1) (b)]	By transfer/deputation of the persons of other services [See rule 6(1) (c)]
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
		Directorate and Field Office	Sports Academy			
1.	Senior Sports Officer	3	-	-	100%	-
2.	Senior Coach	07	-	-	100%	-
3.	Warden (Male/Female)	-	02	100%	-	-
4.	Junior Account Officer	01	-	-	-	100 percent on deputation, from Treasury and Accounts Service

5.	Sports Officer (Field)	17	-	80% 20% post will be filled from the clerical cadre employee fulfilling the eligibility as indicated in Schedule-V. If the required number of suitable candidates is not available from clerical cadre, then the posts shall be filled by direct recruitment.		
6.	Coach	20	6	100%		
7.	Physiotherapy (contract Part time)	-	01	100%		
8.	Driver	02	02	100%		
9.	Assistant Superintendent	01	-	-	100%	
10.	Assistant Grade-I	02	-	-	100%	
11.	Stenographer	02	-	50%	50%	
12.	Auditor	2	-	100%		
13.	Accountant	01	01	-	100%	
14.	Assistant Grade-II	30	01	-	100%	
15.	Store Keeper	01	01	100%		
16.	Data Entry Operator	09	-	100%		
17.	Steno Typist	01	-	100%		
18.	Assistant Grade-III	30	03	75%	25% post shall be filled by the appointment of Class-IV employee, having completed five years of regular service in department and have passed Higher Secondary School Examination through 10+2 method or old Higher Secondary Examination.	

SCHEDULE-III
(See rule 8)

S.No.	Name of the Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Education Qualifications
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Non Gazetted (Executive)			
1.	Warden	21 years	35 years	Graduation from any recognized University. One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from Government recognized Institution.
2.	Sports Officer (Field)	21 years	35 years	Bachelor Degree of Physical Education from any recognized University.
3.	Coach	21 years	35 years	Coaching Diploma from National Institute of Sports Patiala or equivalent diploma from any recognized institution. Archery Coach of Sports Academy should have participated in Recurve Equipment Competition of Senior National Championship organized by sports associations.

4.	Physiotherapist (contract)	21 years	35 years	Bachelor Degree of Physiotherapy from any recognized University.
5.	Driver	18 years	35 years	Should have passed 8th examination from any recognized Board, and Light and heavy vehicle driving license.
	Non Gazotted (Clerical Cadre)			
6.	Stenographer	18 years	35 years	1. Should have passed (10+2) examination from recognized board. or Passed old Higher Secondary Examination along with first year examination of graduation from recognized university. 2. Certificate of Hindi stenography examination passed from recognized board/Institution /Stenography Typing Examination Council and 100 words per minute speed in stenography (skill test will be taken for the speed) 3. One year diploma/certificate in data entry operator/programming from recognized institute and speed of data entry 10,000 key depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).
7.	Auditor	21 years	35 years	Graduation from any recognized University. One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from Government recognized Institution.
8.	Store Keeper	21 years	35 years	Graduation from any recognized University. One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from Government recognized Institution.
9.	Data Entry Operator	21 years	35 years	1. Should have passed (10+2) examination from any recognized board. or Passed old Higher Secondary Examination along with first year examination of graduation course from any recognized university. or Passed class 10th examination and three year diploma in any subject from recognized institution 2. One year diploma in data entry operator/ programming from recognized institution and 8,000 key depression speed of data entry in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken).
10.	Steno Typist	21 years	35 years	1. Should have passed (10+2) examination from any recognized board. or Passed old Higher Secondary Examination along with first year examination of graduation course from recognized University. 2. 60 words per minute speed in stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). 3. One year diploma/certificate in data entry operator/programming from recognized institution and 5,000 key depression speed in data entry (efficiency test for speed shall be taken).
11.	Assistant Grade-III	21 years	35 years	1. Should have passed (10+2) examination from recognized education board. or Passed old Higher Secondary Examination along with first year examination of graduation course from any recognized University. 2. One year diploma/certificate in data entry operator/programming from recognized institution 3. In Hindi computer typing 5,000 (key) depression speed per hour (skill test will be taken for the speed)

SCHEDULE-IV
(See rule 14)

S.No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post in which promotion is to be made	Minimum service period	Member of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(1) Non Gazetted (Executive)			
1.	Sports Officer (Field)	Senior Sports Officer	5 years	Three members departmental gazetted officer's committee constituted by head of department.
2.	Coach	Senior Coach	5 years	--do--
	(2) Non Gazetted (Clerical Cadre)			
3.	Assistant Grade-I	Assistant Superintendent	5 years	--do--
4.	Assistant Grade-II/ Accountant/ Store Keeper/Auditor	Assistant Grade-I	5 years	--do--
5.	Steno Typist	Stenographer	5 years	--do--
6.	Assistant Grade-III (Passed Accounts Examination)	Accountant	5 years	--do--
7.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 years	--do--

SCHEDULE-V

(See rule 13)

**SCHEME OF COMPETITIVE EXAMINATION FOR SELECTION TO
SPORTS OFFICER FROM CLERICAL CADRE**

1. **Title:** - This scheme shall be called the scheme for recruitment through selection for class-III (executive) services from the clerical cadre of the Directorate and its field offices of the Sports and Youth Welfare.
2. **Eligibility :-** Members of the clerical cadre category/services, having the following qualifications for eligibility, namely :-
 - (1) Continuously working in the Directorate of Sports and Welfare and its field offices for the last five years in the clerical cadre service.
 - (2) He must hold bachelor degree of Physical Education from any recognized University or bachelor degree from a recognized University with participated in any sports at least at University level or higher level.
 - (3) He must not have attained the age of more than forty years on the 1st day of January on the year of selection. The maximum age limit for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes shall be relaxed.
3. **Selection :-** Selection for appointment shall be made on the basis of :-
 - (1) Marks obtained by the successful candidate in the examination conducted under this scheme; and
 - (2) Valuation of last five years character roll.
4. **Examination:-**
 - (i) Written examination shall be conducted every year on such dates and place as specified by the Appointing Authority.
 - (ii) There shall be two papers each carrying 50 marks and would be held for 2 ½ hours. To be successful in this examination, candidates have to secure minimum 50 percent marks in each paper separately.
 - (iii) Question Papers shall be prepared by the Appointing Authority, and there shall be the following subjects:-

First question Paper:- General knowledge, General Hindi and Elementary Mathematics.

Second question Paper:

 - (1) General rules of Government service.
 - (2) Knowledge of words generally used in the department.
 - (3) Act, rules, byelaws, manual etc., according to which the department functions.
 - (4) Details of the Syllabus for question papers in written in the enclosed annexure.
 - (5) The candidate shall be eligible for admission for the examination, if fulfills the eligibility. The Appointing Authority shall invite applications from the candidates eligible for the examination, for which he would invite applications minimum one month before the date fixed for examination. Candidates found to be eligible for admission in the examination shall be informed about the date, place and time etc.

- of the examination. In regard to physical fitness, the certificate of the civil surgeon, where the candidate is working/posted, shall be admitted.
- (6) Answer books shall be evaluated by the officers of that department nominated by the Appointing Authority.
- (7) List of such candidates having obtained 50 percent minimum marks or more in each question paper shall be prepared.
5. **Valuation of character rolls and final list of selection :**
- (1) The departmental promotion committee constituted as specified in Schedule-IV shall evaluate the character rolls for the last 5 years of the candidates whose names exists in the selection list prepared under para - 4 (7).
- (2) Every candidate shall be given marks, on character roll of each year. Out of 20 marks, the marking shall as follow:-
- | | | |
|-----------------------|---|----|
| Outstanding/very good | : | 20 |
| Good | : | 15 |
| Average | : | 10 |
- (3) Marks obtained by each candidate on the basis of valuation of character rolls shall be written in front of the marks obtained in the written examination and both the marks shall be added.
- (4) The final selection list shall be prepared on the basis of marks obtained in the examination and valuation of the character rolls. Against 20 percent quota for the Executive (Class-III posts) appointment shall be made in order of their names as appear in the list.
- (5) Mutual seniority of employees appointed in the class-III executive post from the clerical cadre, shall be as shown in the final list.
6. **Probation:** - Employee recruited under this scheme shall be appointed on two years probation. During this period, training of that post will be given and candidates have to clear, if any departmental examination is prescribed. If any employee is not found proper during the period of probation for the class-III executive post, he shall be reverted to his previous post of clerical cadre. Services rendered during the probation period executive (Class-III) post shall be counted as service rendered in the ministerial cadre/service.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SONMONTI BORAH, Secretary.

ANNEXURE
SYLLABUS OF QUESTION PAPERS

QUESTION PAPER-1

1. **General knowledge : (15 MARKS)**
Current events, History of India, Geography of India and relevant incidents. Relevant question regarding general information in respect of Chhattisgarh (Three questions).
2. **General Hindi : (15marks)**
Short questions on the basis of summary of 10-12 lines, Variability in the meaning of similar words and Essay of 150 words on the decided subject.
3. **Elementary Mathematics : (20 marks)**
Multiplications, Divisions, Fraction in decimal system, Percentage, Average, Area, Volume, Average-ratio.

QUESTION PAPER-2

1. **General knowledge of service rules and conduct rules: (20marks)**
(Pay, Allowances, Leave, Provident Fund, Traveling, Medical, etc.)
2. **Knowledge of Terminology prevalent in the Department : (15marks)**
Knowledge of various words generally used in the department.
3. **Knowledge of Acts, rules, etc. government by the department:(15 marks)**

Note :- 1. If the department desires, the question paper may be prepared objective type basis. In this regard. Earlier information shall be given in the advertisement that the examination shall be conducted on the basis of objective type.

2. The aforesaid syllabus is descriptive. The department shall have the authority to amend it according to the requirement."

